महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा : एक अध्ययन जयपुर जिले के सन्दर्भ में 2004 से 2019

राजनीतिक विज्ञान में पीएच० डी० उपाधि हेतु शोध प्रस्तावना

शोध निर्देशिका
डॉ० सपना गहलोत

शोधार्थी
सविता मकवाना
Enrollment No. : JVR-I/19/1003

मानविकी और पत्रकारिता विभाग

Jayoti Vidayapeeth Women's University

परिचय

ईश्वर की सबसे खूबसूरत रचना है नारी और नारी का स्वभाव है प्रत्येक रिश्तों को निभाना, वह इन रिश्तों के साथ ही जीना, नारी के इस स्वभाव में स्नेह, प्रेम, करूणा, दया, सहिष्णुता, धैर्य, और वात्सल्य जैस गुण विघमान होते है नारी में वह शक्ति है जो प्राचीन काल से ही इन सामाजिक दायित्वों को निभा रही है। नारी इस संसार में गुणों के साथ दृढ़ निष्चयी एवं साहसी भी है।

नारी व पुरूषों की समस्यायें, इच्छाऐं, चिन्तन व गुण वही होते हैं अर्थात् समान होते हैं पर फिर भी वह पुरूषों के द्वारा शोषण का शिकार हो रही है। आज भी नारी सभी क्षेत्र में अन्याय व अत्याचारे सहन कर रही है।

नारी की स्थिति सभी समाजों में समान नहीं रही हैं। आदिम समाजों से लेकर वर्तमान समाज में भी स्त्री–पुरूष असमानता, भेदभाव एवं स्त्री शोषण को देखा जा सकता है। स्त्री द्वारा अधीनता की मौन स्वीकृति ने भी महिला के विरूद्ध हिंसा को एक महत्त्वपूर्ण कारण है।

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार और हिंसा का इतिहास काफी पुराना है वैदिक काल में तो महिलाओं की स्थिति सही थी पर उसके बाद के काल में उत्तर वैदिक काल से वर्तमान समय तक महिलाओं की स्थिति दयनीय रही है। उत्तर वैदिक काल से ही महिलाओं के शोषण को देखा जा सकता है और मध्य काल तक आते–आते महिलाओं की स्थिति और दयनीय हो गई। पर्दा प्रथा, सती प्रथा आदि प्रथाओं ने महिलाओं के शोषण को बढावा दिया है। वर्तमान समय में भी महिलाओं की स्थिति में ज्यादा परिवर्तन नहीं आया हैं। आज के समय में दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, एसिड़ अटैक इत्यादि हो रहे है।

भारत जैसे देशों में महिलाओं के साथ घरेलू हिंसा हो रही है व इनके अधिकारों का हनन हो रहा हैं। संविधान द्वारा प्रदान अधिकार भी महिलाओं को हिंसा व अत्याचार से नहीं बचा पा रही है।

अधिकांश महिलाऐं का आर्थिक दृष्टि से निम्न स्तर होता है और इसी कारण महिलाओं को अत्याचार व अपराधों का सामना करना पडता है। महिलाओं के साथ इस प्रकार का व्यवहार प्राचीन काल से ही हो रहा है। जिसमें उत्पीड़न, अपमान, शोषण, दमन आदि शामिल है यदपि आधुनिक काल में भारतीय महिलाऐं उन्नति कर रही है पर फिर भी उनेक साथ हिंसा का व्यवहार हो रहा है। अधिकांश घरों में उपहास, सताना, मारपीट इत्यादि की जाती है। भारत में महिलाओं का कितना विकास हुआ है। यह ग्रामिण महिलाओं की स्थिति से

पता चलता है आज भी गांवो में महिला को अपहरण बलात्कार हत्या भेदभाव का सामना करना पडता है। भारतीय संस्कृति भी महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव व शोषण के लिए जिम्मेदार है।

इडियन मेडिकल एसोसियन के अनुसार देश में हर वर्ष 50 लाख कन्या भ्रूण का गर्भपात होता हैं। भ्रूण परीक्षण सम्बन्धी पी. एन. डी. टी. अधिनियम 1994 में लागू किया गया परन्तु यह सम्पूर्ण भारत में सुचारू रूप से नहीं चल ना रहा हैं। महाराष्ट्र की एक स्वयं सेवी संस्था की रिपोर्ट के आधार पर भ्रूण परीक्षण के बाद 8 हजार गर्भपात करवाये गये जिनमें से 7399 कन्याऐं थी। राष्ट्रीय अपराध ब्यूरो की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक महिने 967 महिलायें बलात्कार का शिकार होती हैं। जिसमें से 50 प्रतिशत दस वर्ष से कम उम्र की लडकियाँ होती हैं। इस रिपोर्ट के अनुसार मध्यप्रदेश में महिलाऐं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। यहाँ प्रत्येक दिन सात महिलायें बलात्कार की शिकार होती हैं जो सम्पूर्ण देश का 22 प्रतिशत हैं। उसके बाद उत्तरप्रदेश में प्रत्येक महीने में 146 महिलाऐं बलात्कार का शिकार होती हैं। राजस्थान, आन्धप्रदेश, बिहार व पश्चिम बंगाल में लगभग क्रमशः 74, 69, 68 व 62 बलात्कार के मामले दर्ज किये जाते हैं। राष्ट्रीय परिवार व स्वास्थ संगठन 2005 की रिपोर्ट के अनुसार समय में दहेज प्रथा, घरेलू हिंसा, बलात्कार, एसिड़ अटैक इत्यादि हो रहे हैं। महिलाऐं अपने सम्पूर्ण जीवन काल में 33.5 प्रतिशत व 8.5 प्रतिशत शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं। इन महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष होती हैं।

नेशनल क्राइम रिपोर्ट 2012 के अनुसार भारत में अपराध दर 46 मिनट में 1,00,000 बलात्कार 2 मिनट पर 10,000 दहेज उत्पीडन 0.7 पर 1,00,000 घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं।

थॉम्सन रॉयटर्स फाउडेशन के सर्वेक्षण के आधार पर भारत में महिलाओं की स्थिति को बुरा बताया गया हैं व भारत के सर्वेक्षण के आधार पर यह कहा गया हैं कि भारत में महिलाओं का दर्जा धन और उनकी सामाजिक स्थिति पर निर्भर करती हैं व इस देश में कम उम्र में विवाह, दहेज, घरेलू हिंसा व कन्या भ्रूण हत्या जैसे कारणों को हिंसा के लिए जिम्मेदार हैं भारत में सात वर्ष पहले बना घरेलू हिंसा कानून अधिनियम 2005 एक पहल हैं हिंसा के खिलाफएक गातिशील कदम हैं। परन्तु लिंग के आधार पर भारत में हिंसा अभी भी होती हैं और इस प्रकार की महिलाऐं अपने सम्पूर्ण जीवन काल में 33.5 प्रतिशत व 8.5 प्रतिशत शारीरिक शोषण का शिकार होती हैं। इन महिलाओं की उम्र 15 से 49 वर्ष होती हैं।

भारत की राजधानी दिल्ली व इसके आस–पास के इलाकों में बलात्कार व देह व्यापार व महिलाओं की तस्करी अधिक होती हैं। इस सर्वेक्षण ने सरकारी अध्ययन का उल्लेख

करते हुए स्पष्ट किया हैं कि भारत में 51 प्रतिशत पुरूषों व 54 प्रतिशत महिलाओं ने पत्नियों की पिटाई को उचित ठहराया हैं।

वर्तमान समय में भारत में महिलाओं के प्रति हिंसा के स्वरूप में परिवर्तन आया हैं। पिछले कुछ वर्षों में देश में महिलाओं पर एसिड़ अटैक की घटनाओं में वृद्वि हुई हैं इसके अलावा राजस्थान, हरियाणा, उत्तरप्रदेश, झारखण्ड़ जैसे राज्यों में ऑनर किलिंग कर धटनाऐं भी सामने आ रही हैं।

घरेलू हिंसा से सम्बन्धित मामलों के आधार पर राजस्थान का भारत में तीसरा स्थान हैं। इस आधुनिक काल में भी राजस्थान महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं हैं। जयपुर में सेव द चिल्ड्रन व राजस्थान विश्वविद्यालय एवं महिला संस्था रूवा के द्वारा आयोजित कार्यशाला में यह स्पष्ट किया गया की महिला हिंसा के मामले में जयपुर जिला प्रथम स्थान पर हैं जबकि अलवर दूसरे स्थान पर हैं व जैसलमेर, बीकानेर एवं सिरोही जिलों को सुरक्षित माना हैं।

घरेलू हिंसा की शिकायत करने में राजस्थान की महिला सबसे आगे हैं। पत्नि को पीटन, शराब पीने, की सबसे ज्यादा शिकायतें राजस्थानी महिलाओं के द्वारा की जाती हैं। राजस्थान में महिला हिंसा के आकड़ों की जानकारी देते हुए सेव द चिल्ड्रन के रमाकान्त सतपति ने बताया हैं की भारत में होने वाली कुल हिंसा के 8 प्रतिशत मामले राजस्थान के होते हैं व बालिका हिंसा के 4.1 प्रतिशत मामले होते हैं। राजस्थान राज्य में पंचायती राज संस्थाओं में चुनी गई जन प्रतिनिधियों के पास घरेलू हिंसा के जुड़ी शिकायते आती हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ और इंटरनेशनल सेन्टर फॉर रिसर्च ऑन वीमन की ओर से किये गये देश के ऑडिशा, राजस्थान, महाराष्ट्र के अध्ययन से यह बात स्पष्ट होती हैं की राजस्थान में 12.1 प्रतिशत घरेलू हिंसा के मामलों में महिला जन प्रतिनिधियों की ओर से कोई कार्यवाही नहीं की जाती हैं।

वर्तमान समय में भी राजस्थान में बाल–विवाह, वेश्वावृत्ति, वधुओं को दहेज के लिए जलाकर मार देना आदि अपराध हो रहे हैं सरकारी प्रयास के बावजूद भी समाज में से इन अपराध को समाप्त नहीं का पा रही हैं। दहेज, हत्या, बलात्कार व घरेलू हिंसा से बचाव के लिए सरकार के द्वारा महिलाओं को अधिकार प्रदान किये गये हैं। जो निम्न प्रकार हैं :–

1. हिन्दु विधवा पुनर्विवाह अधिनियम 1850
2. बाल विवाह निरोध अधिनियम 1929 संशोधित 1978
3. दहेज निरोधक अधिनियम 1961
4. महिला व कन्या का अनैतिक व्यापार अधिनियम 1956
5. सती प्रथा अधिनयम 1829

6. मातृत्व सुविधा अधिनियम 1890
7. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
8. हिन्दु विवाह व विवाह विच्छेद अधिनियम 1955
9. कन्या शिशु हत्या 1870
10. हिन्दु उत्तराधिकारी 1956
11. डायन प्रथा अधिनियम 2001

घरेलू हिंसा का अर्थ :–

परिवार का कोई भी पुरूष सदस्य अगर महिला को मारता है। उसके साथ अभद्र भाषा में बात करता है या उसे किसी भी चीज के लिए विवश करता है तो वह महिला घरेलू हिंसा कहलाती है। महिला सशक्तिकरण के इस युग में भी घरेलू हिंसा के मामलों दिनों–दिन बढ़ते जा रहे है।

भारत में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा "ग्रामीण एवं शहरी दोनों क्षेत्रों में व्यापक रूप से विद्यमान है।" महिला हिंसा को रोकने के लिए भारत सरकार ने विभिन्न प्रकार के कानून बनाये है परन्तु महिलाओं के साथ होने वाली "घरेलू हिंसा" में कमी नहीं आयी है। महिला विरूद्ध हिंसा हमारे देश में होने वाली रोजमर्रा होने वाली समस्या है। हर रोज महिला को मारना–पीटना, बेइज्जत करना, धमकाना तथा यौन रूप से प्रताड़ित किया जाता है। प्रताड़ित महिलाऐं प्रायः सामाजिक–सांस्कृतिक दबावों के कारण आवाज नहीं उठा पाती। भारत में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा की मुख्य धुरी परिवार है। क्याकि यह महिलाओ पर दबाव डालने का काम करती है।

घरेलू हिंसा की परिभाषा :–

1. **पुलिस के अनुसार –** महिला वृद्ध अथवा बच्चों के साथ होने वाली किसी भी प्रकार की हिंसा अपराध की श्रेणी में रखा गया है महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के अधिकांश मामलों में दहैज प्रताडना तथा अकारण मार–पीट प्रमुख है।
2. **राज्य महिला आयोग के अनुसार –** कोई भी महिला यदि परिवार के पुरूष द्वारा की गई मारपीट अथवा प्रताड्ना से त्रस्त है तो वह घरेलू हिंसा की शिकार कहलाएगी।

परिवार में महिला तथा उसके अलावा किसी भी व्यक्ति के साथ मारपीट की धमकी देना व उत्पीडन घरेलू हिंसा की श्रेणी में आते है इसके अतिरिक्त लैगिंक हिंसा, मौखिक और भावनात्मक हिंसा तथा आर्थिक हिंसा भी घरेलू हिंसा के अन्तर्गत आती हैं।

घरेलू हिंसा के कारण :–

भारत में पितृसत्तात्मक को अधिक महत्व देने के कारण व लड़कियों को कमजोर व लड़कों को साहसी माना जाता हैं जिसके कारण लड़कीयों आत्मविश्वास विकसित नही हो पाता हैं घरेलू हिंसा के कारण निम्नलिखित हैं।

1. महिला के चरित्र पर संदेह करना
2. शराब की लत
3. इलैक्ट्रोनिक मीडिया का दुष्प्रभाव
4. महिला का स्वावलम्बी बनने से रोकना
5. समतावादी शिक्षा व्यवस्था का अभाव

घरेलू हिंसा के प्रकार :–

1. **शारीरिक हिंसा :–**

   इस हिंसा में मारपीट करना, लात मारना, थप्पड़ देना या अन्य रीति से शारीरिक हिंसा करना।
2. **लैगिक हिंसा :–**

   जैसे बलात् लैगिक हिंसा, अश्लील साहित्य को देखने को विवश करना, लैगिक मैथुन आदि
3. **मौखिक हिंसा :–**

   अपमान करना, गालियाँ देना, विवाह के लिए विवश करना, पुरूष सन्तान न होना, नौकरी छोडने के लिए विवश करना।

4. आर्थिक हिंसा :–

महिला तथा अपने बच्चें को अपनी देखभाल के लिए धन न देना, महिलाओं को अपना रोजगार न करने देना, वेतन आदि ले लेना।

घेरलू हिंसा महिला संरक्षण अधिनियम 2005 :–

महिलाओं के प्रति हिंसा भारतीय समाज के लिए नई समस्या नहीं है। क्योंकि भारतीय समाज की महिलाऐं प्रारभ्भ से अवमानना, यातना और शोषण को सहन कर रही हैं। भारतीय समाज में महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा ग्रामीण व शहरी दोनों क्षेत्रों में विद्यमान है। घेरलू हिंसा से भारतीय समाज की महिलाओं को सुरक्षा प्रदान करने के लिए घरेलू हिंसा कानून बनाया गया हैं।

घरेलू हिंसा संरक्षण अधिनियम 2005 भारत की संसद द्वारा पारित एक अधिनियम है जिसका मूल उद्धेश्य घरेलू हिंसा से महिलाओं को बचाना है यह अधिनियम 26 अक्टूबर 2005 को लागू किया गया इस कानून के तहत घरेलू हिंसा के दायरे मे अनेक प्रकार की हिंसा व दुर्व्यवहार शामिल किये गये है। भारतीय संविधान में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित कुल 13 धाराऐं है।

शोघ के उदृेश्य :–

1. भारत में महिलायों की स्थिति का वैदिक काल से आधुनिक काल का अध्ययन करना।
2. घरेलू हिंसा से संबंधित कानून का अध्ययन करना व विशेषाधिकारी का अध्ययन करना।
3. घरेलू हिंसा को रोकने के उपाय सुझाव देना।
4. राजस्थान में महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा के सन्दर्भ में अध्ययन करना।महिलाओं की सामाजिक स्थिति के उत्थान के सुझाव देना।

अध्ययन रूपरेखा :–

प्रस्तुत शोध को सात भागों में विभक्त किया गया हैं।

1. परिचय
2. भारत में महिलाओं की स्थिति
3. राजस्थान में घरेलू हिंसा की स्थिति
4. महिला सशक्तिकरण कानूनी प्रावघान एवं प्रभाव
5. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005
6. तथ्यों का निष्कर्ष एवं सारणीकरण

7. उपसहांर

1. परिचय :–

शोध के प्रथम अध्याय परिचय के अन्तर्गत भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति का विस्तारपूर्वक अध्ययन किया जायेगा। इस अध्याय में महिलाओं पर होने वाले अत्याचार, हिंसा, बलात्कार आदि का अध्ययन करते हुए वर्तमान समय भारत में महिलाओं पर होने वाली हिंसा के प्रतिशत से परिचित होना हैं।

2. भारत में महिलाओं की स्थिति :–

शोध के दुसरे अध्याय भारत में महिलाओं की स्थिति के अन्तर्गत ऐतिहासिक काल से वर्तमान काल तक की महिलाओं की स्थिति का अध्ययन किया जायेगा।

3. राजस्थान में घरेलू हिंसा की स्थिति :–

शोध के तीसरे अध्याय में राजस्थान में घरेलू हिंसा के अन्तर्गत होने वाली हिंसा के प्राचीन से वर्तमान स्वरूप तक की विवेचना करना है व हिंसा के विविध प्रकार डायन प्रथा, सती प्रथा, अनुसूचित जाति व जनजाति की महिलाओं पर होने वाली हिंसा व राजस्थान के घरेलू हिंसा के आकड़ों का अध्ययन करना हैं।

4. महिला सशक्तिकरण कानूनी प्रावधान एवं प्रभाव :–

शोध के चौथे अध्याय के अन्तर्गत महिला सशक्तिकरण का अर्थ परिचय व भारतीय संविधान द्वारा प्रदान महिलाओं के अधिकार व विशोषाधिकार एवं वर्तमान समय में पडने वाले प्रभाव का अध्ययन करना हैं।

5. घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 :–

शोध के पाँचवें अध्याय के अन्तर्गत घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 का परिचय, हिंसा के प्रकार, कारण, बचाव के उपाय, भारतीय सविधान द्वारा प्राप्त अधिकार व विभिन्न धारा का अध्ययन किया जायेगा।

6. तथ्यों का निष्कर्ष एवं सारणीकरण :–

शोध के इस अध्याय में जयपुर जिले की 120 महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, राजनैतिक स्तर पर होने वाली हिंसा के आकड़े प्राप्त किये जायेगे।

7. उपसंहार :–

शोध के सप्तम व अन्तिम अध्याय में बताया गया है कि किस प्रकार भारतीय महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन आया हैं। हिंसा के प्राचीन तरीके से आधुनिक स्वरूप का वर्णन व उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा हैं। यदि कोई समस्या हैं तो उस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसी परिदृष्ट को ध्यान में रख कर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया हैं। उसका किस प्रकार प्रयोग हो रहा हैं व राजस्थान की महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया हैं का अध्ययन किया जायेगा।

शोध परिकल्पना :–

1. महिलाओं का अपने मानवाधिकारों के प्रति जागरूक होने व अपने संविधानिक रूप से अधिकारों से परिचित करवाना।
2. भारत सरकार के द्वारा महिलाओं को केन्द्र बिन्दु मानकर अपनी योजनाओं का निर्माण करना चाहिए जिससे वह अधिक–से–अधिक भागीदारी कर सके।
3. महिलाओं के द्वारा आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया जाये जिससे उन्हें अपने अधिकारों की जानकारी हो सके व आत्मविश्वास में वृद्धि हो और वह हिंसा का विरोध कर सके।

अध्ययन क्षेत्र :–

महिलाओं के प्रति होने वाली घरेलू हिंसा का अध्ययन करना व घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 से अवगत करवाकर अधिक जागरूक करने का प्रयास करना।

इस सर्वेक्षण कार्य के लिए राजस्थान के जयपुर जिले को चयनित किया गया है। जयपुर जिले को गुलाबी नगर के भी नाम से भी जाना जाता है जो राजस्थान राज्य की राजधानी हैं इसकी स्थापना सन् 1727 में आमेर के महाराजा जयसिंह द्वितीय ने की थी। जयपुर अपनी समृद्ध भवन निर्माण – परम्परा व सरस संस्कृति व ऐतिहासिक महत्व के लिये जाना जाता हैं यह शहर तीन ओर से अरावली पर्वत माला से घिरा हुआ हैं जयपुर शहर समुद्र तल से 432 मी की ऊचाई पर स्थित हैं यह शहर अर्ध रेगिस्थान में बसा हुआ हैं वर्तमान में जयपुर की कुल जनसख्या 3.1 मिलियन हैं व इसका क्षेत्रफल 3,42,239 किलोमीटर हैं।

शोध प्रविधि :–

प्रस्तुत समस्या के लिये शोघकर्त्ती द्वारा सर्वेक्षण विधि का प्रयोग किया जायेगा तथा तथ्यों के संकलन के लिये प्राथमिक व द्वितीयक विधियों का प्रयोग किया जायेगा।

प्राथमिक स्त्रोत :– प्राथमिक तथ्यों के संकलन के लिए साक्षात्कार अनुसुची का प्रयोग किया जायेगा।

द्वितीयक स्त्रोत :– द्वितीयक स्त्रोत के संकलन के लिए समस्या से सम्बन्धित पुस्तकें, पत्र–पत्रिका, जर्नलस् व इन्टरनेट आदि का प्रयोग किया जायेगा। शोध को पूरा करने के लिए पुस्तकालयों की सहायता ली जायेगी।

अध्ययन न्यायदर्श :–

जयपुर जिले की चारदिवारी की 400 महिलाओं पर शोध कार्य किया जायेगा।

शोध कार्य में प्रयुक्त सांख्यिकी :–

शोघ कार्य में आकडों के संकलन के पश्चात् उसका परिणाम निकालने के लिए निम्न सांख्यिकी सूत्रों का प्रयोग किया गया। जो निम्न हैं :–

1. आवृति
2. प्रतिशत

शोध कार्य के लिए प्रयुक्त चर :–

1. स्वतंत्र चर :– आर्थिक, सामजिक, शैक्षिक, लैगिंक भेदभाव, राजनैतिक अधिकार।
2. आश्रित चर :– घरेलू हिंसा

शोध कार्य में प्रयुक्त उपकरण :–

आकडों के संकलन के लिए उपकरण के रुप में घरेलू हिंसा से सम्बन्धित स्वनिर्मित साक्षात्कार अनुसूची का प्रयोग किया गया हैं।

उपसंहार :–

हिंसा के प्राचीन तरीके से आधुनिक स्वरूप का वर्णन व उसका क्या प्रभाव समाज पर पड़ रहा हैं। यदि कोई समस्या हैं तो उस समस्या का समाधान करना चाहिए। इसी परिदृष्ट को ध्यान में रख कर घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 भारतीय संविधान द्वारा पारित किया गया हैं। उसका किस प्रकार प्रयोग हो रहा हैं व राजस्थान की महिलाओं की स्थिति में क्या परिवर्तन आया हैं का अध्ययन किया जायेगा व इस आधार पर यह देखने का प्रयास किया जायेगा कि सरकार के द्वारा महिलाओं के हित के लिए जो प्रयास किये जा रहे है वह कितने सार्थक हो रहे है।

सम्बधित साहित्य का अध्ययन :–

1. **सुधारानी श्रीवास्तव[1] (2009)** – महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार

प्रस्तुत पुस्तक में लेखिका ने भारत में उत्पीडन की स्थिति व उसका उपचार हेतु कानूनी उपायों का वर्णन किया गया हैं। इसमे लेखिका के द्वारा वैदिक काल में भारतीय महिलाओं की स्थिति व परम्परा व उतरदाायित्व का वर्णन करते हुए मध्य काल तक आते–आते किस प्रकार सें भारत की सामाजिक व सांस्कृतिक परम्परा व रूढ़ियों ने किस प्रकार से महिला को प्रभावित किया है व यह रूढ़िया किस तरीके से महिला उत्पीडन व हिंसा से महिलाओं को प्रभावित कर रही हैं लेखिका ने महिलाओं के विरूद्व होने वाले अपराध को चार क्षेणिया में विभक्त करके उन पर कानूनी उपचार पर ध्यान केन्द्रित किया जिसके तहत महिला अधिकार से सम्बधित कानून का वर्णन किया गया हैं।

2. **धर्मन्द्र कुमार सिंह**[2] (2010) – महिला यौन उत्पीड़न एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (वाराणसी की महिलाओं पर)

शीर्षक पर शोध कार्य किया इनके अनुसार आधुनिक समाज में महिला हर क्षेत्र में आर्थिक, राजनैतिक, विज्ञान, अन्तरिक्ष यात्रा, आदि क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा अपना महत्त्वपूर्ण योगदान दिया जा रहा हैं। वह संविधान द्वारा प्रदान किये गये अपने अधिकारो से अवगत भी हैं परन्तु महिला स्वभाव व भारतीय संस्कृति के कारण वह घरेलू हिंसा का शिकार होती हैं पर गैर सरकारी संगठन व सरकारी संगठन के द्वारा घरेलू हिंसा को अवैधानिक स्वीकार किया गया हैं व भारतीय समाज व संगठन के द्वारा इसके विरूद्ध आवाज उठाई जा रही हैं।

3. **कविता चौधरी**[3] (2016) – महिलाओं के विरूद्व घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन

शीर्षक पर शोध कार्य किया इनके अनुसार वर्तमान दौर में वैश्वीकरण व आर्थिक उदारीकरण की प्रक्रियाओं ने सम्पूर्ण विश्व को एक नया रूप प्रदान किया परन्तु इस नये रूपान्तरण की प्रक्रिया में महिलाओं के विरूद्ध हिंसा एक गंभीर समस्या बन रही हैं। वर्तमान समय में आर्थिक, राजनैतिक, सामाजिक आदि क्षेत्रों में महिलाओं के द्वारा महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही हैं। शोधकार्य में शोधकर्त्री के द्वारा राजस्थान में किस प्रकार से महिलाओं के विरूद्ध हिंसा का विश्लेषण किया गया हैं कि किस प्रकार से प्राचीन काल से आधुनिक काल तक राजस्थान की महिलाओं उत्पीड़न का कार्य किया जा रहा हैं व अध्ययन क्षेत्र भरतपुर की महिलाओं पर सर्वक्षण कर के यह निष्कर्ष प्रस्तुत किया हैं कि महिला आर्थिक सामाजिक व सांस्कृतिक व कम शिक्षा, बाल–विवाह के कारण घरेलू हिंसा का शिकार हो रही हैं।

4. **डॉ० सीता गुर्जर**[4] (2015) – महिला सशक्तिकरण (नीति, कानून एवं योजनाऐं)

प्रस्तुत पुस्तक में स्पष्ट किया गया हैं कि प्राचीन काल से ही महिलाओं को सम्मानीय दृष्टि से देखा गया हैं व भारतीय संविधान के द्वारा भी महिलाओं को विशेष दर्जा दिया गया हैं व महिलाओं को पुरूषों के समान लाने हेतु विभिन्न अधिनियम व कार्यक्रम चलाये गये हैं जिससे महिला–पुरूष के भेदभाव को समाप्त किया जाये और महिलाओं का विकास किया जा सके इस पुस्तक में महिला सशक्तिकरण के उद्धेश्य घटक, महिलाओं से सम्बन्धित प्रावधान नीति एवं विशेष कानून जैसे–घरेलू हिंसा अधिनियम, लिंग चयन प्रतिषेध अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम आदि व प्रमुख योजनाऐं–लाड़ली लक्ष्मी योजना, कलेवा योजना, ज्योति योजना, सबला योजना आदि का विवरण किया गया हैं।

5. भावना शाह कुमार[5] (2016) – महिला सशक्तिकरण में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका

महिला सशक्तिकरण आज समाज का सबसे बड़ा मुद्दा बन गया हैं भारत की आधी आबादी को सशक्त किए बिना भारत का समाज–जीवन सबल नहीं हो सकता हैं। भारतीय परम्परा में पुरूषों का वर्चस्य प्राप्त हैं परन्तु आधुनिक समय में परिस्थितियों में परिवर्तन आ रहा हैं। आज के समय में अर्थ व काम का अधिक महत्त्व नहीं दिया जा रहा हैं इनमें बदलाव करना होगा जिसमें समाज का कल्याण हो सके महिला केवल भोग की वस्तु नहीं हैं वरन् वह तो त्याग, तपस्या, निष्ठा की प्रतिमूर्ति हैं।

6. सुजता मनोहर[6] (2001) – आज हमारे समक्ष सबसे बडी चुनौति समानता का वातावरण

आज हमारे समक्ष सबसे बडी चुनौति समानता का वातावरण में स्पष्ट किया कि वर्तमान समय में समाज में समानता का वातावरण को निर्मित किया जाये जिसके लिए समाज के प्रत्येक स्तर को अपने उत्तरदायित्व को समझना होगा। इस शोध–पत्र में स्पष्ट किया हैं कि महिला सशक्तिकरण के लिए कानून में सुधार होना चाहिए जिससे समाज में महिलाओं के प्रति भेद–भाव कैसे समाप्त करके समानता पर आधरित कानून का निर्माण हो सके व प्रत्येक व्यक्ति उसका पालन करे।

7. अनिता पटेल[7] (2001) – महिला उत्पीडन का सिलसिला कब तक

इनके शोध पत्र में महिला उत्पीड़न से पीडित महिलाओं की मानसिक स्थिति व उनकी सन्तान के विकास पर पड़ने वाले नकारात्मक प्रभाव का वर्णन किया गया हैं। इस शोध पत्र में स्पष्ट किया कि किस प्रकार से परिवार के सदस्यों चाहे वह महिला हो या पुरूष दोनों ही महिला के उत्पीड़न के लिए उत्तरदायी हैं। इस शोध के निष्कर्ष के आधार पर स्पष्ट किया गया कि महिलाओ के विरूद्ध हिंसा में जो गालियाँ देना, मार–पीट करना होता हैं उसका

दुष्प्रभाव बच्चों के व्यवहार पर होता हैं और बच्चे भी उसी भांति व्यवहार अपने खिलौने या सदस्य से करते हैं।

8. डॉ० प्रत्यूष वत्सला[8] (2015) – महिला हिंसा का अन्त कल आज और कल

इस पस्तक में महिलाओं की स्थिति भारतीय समाज में कैसी हैं इसकी विवेचना ऐतिहासिक काल से वर्तमान काल तक में महिलाओं की स्थिति को दर्शाया गया हैं व महिला हिंसा पर प्रकाश डालते हुए विस्तारपूर्वक वर्णन किया गया हैं व घरेलू हिंसा के कारण उपचार, अधिनियम पर प्रकाश डाला हैं।

सन्र्दभ सहायक ग्रन्थ :–

1. सुधारानी श्रीवास्तव (2009) –

महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली, पेज नं० – 49

2. धर्मन्द्र कुमार सिंह (2010) –

महिला यौन उत्पीड़न एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (वाराणसी की महिलाओं पर), पीएच. डी. शोध अध्ययन वीर बहादुर सिंह, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जोनपुर, उ० प्र०, पेज नं० – 130

3. कविता चौधरी (2016) –

महिलाओं के विरूद्व घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, पीएच. डी. थिसिस, कोटा विश्वविद्यालय, पेज नं० – 50–78

4. डॉ० सीता गुर्जर (2015) –

महिला सशक्तिकरण (नीति, कानून एवं योजनाऐं), हिमांशु पब्लिकेशन, पेज नं०–28

5. भावना शाह कुमार (2016) –

महिला सशक्तिकरण में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका, प्रियंका प्रकाशन, पेज नं०–9

6. सुजाता मनोहर (2001) –

आज हमारे समक्ष सबसे बडी चुनौति समानता का वातावरण, पेज नं०–27

7. **अनिता पटेल (2001) –**

महिला उत्पीडन का सिलसिला कब तक, शोधदृपत्र वॉल्यूम 46, पेज नं०–3

8. **डॉ० प्रत्यूष वत्सला (2015) –**

महिला हिंसा का अन्त कल आज और कल, भारती प्रकाशन, पेज नं०–32

सन्र्दभ सहायक ग्रन्थ :–

1. **सुधारानी श्रीवास्तव (2009) –**

महिला उत्पीड़न और वैधानिक उपचार, अर्जुन पब्लिकेशन हाउस, नई दिल्ली

2. **धर्मन्द्र कुमार सिंह (2010) –**

महिला यौन उत्पीड़न एक समाजशास्त्रीय अध्ययन (वाराणसी की महिलाओं पर), पीएच. डी. शोध अध्ययन वीर बहादुर सिंह, पुर्वाञ्चल विश्वविद्यालय, जोनपुर, उ० प्र०

3. **कविता चौधरी (2016) –**

महिलाओं के विरूद्व घरेलू हिंसा एक समाजशास्त्रीय अध्ययन, पीएच. डी. थिसिस, कोटा विश्वविद्यालय

4. **डॉ० सीता गुर्जर (2015) –**

महिला सशक्तिकरण (नीति, कानून एवं योजनाऐं), हिमांशु पब्लिकेशन

5. **भावना शाह कुमार (2016) –**

महिला सशक्तिकरण में हिन्दी पत्रकारिता की भूमिका, प्रियंका प्रकाशन

6. **सुजाता मनोहर (2001) –**

आज हमारे समक्ष सबसे बडी चुनौति समानता का वातावरण

7. **अनिता पटेल (2001) –**

महिला उत्पीडन का सिलसिला कब तक, शोधदृपत्र वॉल्यूम 46

8. डॉ० प्रत्यूष वत्सला (2015) –

महिला हिंसा का अन्त कल आज और कल, भारती प्रकाशन

9. डॉ० ओम प्रकाश धाकड़ (2008) –

महिला सशक्तिकरण

10. डॉ० नीरज कुमार राय (2005) –

महिला हिंसा के विविध पक्ष, Blue buck प्रकाशन

11. डॉ० नीरज राव (2005) –

महिला हिंसा Blue buck प्रकाशन

12. डॉ० टी. आर. मारूति, श्रीदेवी कृष्णा (2012) –

Violation of human rights of women in india

13. शीबा कबीर (2015) –

पारिवारिक हिंसा के विरूद्ध एक समाजशास्त्रीय कानपुर नगर की उत्पीड़ित मुस्लिम महिलाऐं, क्षत्रपति शाहूजी महाराज विश्वविद्यालय, कानपुर, उ० प्र०

14. ऐलिस वोल्डिंग (1988) –

Women and social violence, यूनेस्को पब्लिसर्स, पेरिस

15. सक्सेना मंजुला (2010) –

विवाहित महिलाओं तथा पारिवारिक हिंसा, एजुकेशन पब्लिकेशन, वाणी प्रकाशन, मैंगलोर, कर्नाटक

16. लक्ष्मी ठाकुर (2001) –

Women and social violence

17. सिंह अनुपम (2011) –

महिला सशक्तिकरण के अधिनियम का सामाजिक चेतना पर प्रभाव, सामाजिक शोध, जीवाजी विशविद्यालय, ग्वालियर

18. नीरा देसाई (2001) –

Woman in india Society, नेशनल बुक ट्रस्ट

19. डॉ० सुधीर हिन्दवान (2013) –

Cast violence in india, ग्लोबल विजन पब्लिकेशन हाउस

20. राम आहूजा (1987) –

Crime against woman, रावत पब्लिकेशन हाउस

21. मन्जूलता सैनी (2004) –

अनुसूचित जातियों में महिला उत्पीड़न, अर्जुल पब्लिकेशन

22. डोवास एण्ड डोवास (1980) –

violence against wives, ओपन बुक्स, लंदन

23. प्रतिभा (2014) –

घरेलू हिंसा : एक समाजशास्त्रीय अध्ययन पीएच. डी. थिसिसि दीनदयाल उपाध्यायए गोरखपुर विश्वविद्यालय

24. श्रीमति मंजूलता तिवारी (2016) –

महिला सशक्तिकरण उपलब्धियाँ एवं चुनौतियाँ An international multidisplinary research e-journal march Vol.-2 Issue III

25. नाहानी प्रकाश नारायण (2007) –

कन्या भ्रूण हत्या और महिलाओं के प्रति घरेलू हिंसा बुक एवक्लेप, जयपुर

26. वेवस्टर शब्दकोष (1981) –

न्यू इन्टरनेशनलस् डिक्शनरी वॉल्यूम 1 डब्लू एण्ड आर चेम्बरस् लिमिटेड

27. नेशनल क्राईम रिपोर्ट (2012) – पेज नं० 200

28. नेशनल क्राईम रिपोर्ट (2016) – पेज नं० 197

29. तिवारी डी० के० एडवोकेट (2007) – घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण

30. राधाकमल मुखर्जी (जुलाई, दिसम्बर 2008) – चिन्तन परम्परा

31. लता डॉ० मन्जू (2007) –

अनुसूचित जाति में महिला उत्पीड़न, प्रथम संस्करण, अर्जुन प्रकाशन, नई दिल्ली

32. शर्मा प्रज्ञा – भारतीय समाज में नारी पाईन्टर प्रकाशन जयपुर

33. व्होरा आशरानी –

भारतीय नारी दशा दिशा प्रकाशन पब्लिशिंग हाउस नई दिल्ली

34. नीरज कुमार – महिला शक्ति की कुछ कोशिशें, कुरुक्षेत्र, मार्च 2007

35. परमार पी. एस. एवं कनेरिया एम (2014) –

महिलाओं पर होने वाले अत्याचार व उनके निवारण का विवेचनात्मक अध्ययन

36. सोनी एस –

महिला एवं हिंसा मुक्त समाज लिंग आधारित सामाजिक व्यवस्था के विशेष सन्दर्भ में

37. तिवारी ए० (2014) –

जनसख्या वृद्वि एंव पर्यावरण सुरक्षा कृष्णा कम्प्यूटर्स एण्ड प्रिटर्स सागर

38. डॉ० सुनिता बाथरे (2015) –

घरेलू हिंसा – कारण समस्याएँ सुझाव व कानून की भूमिका दिव्या शोध समीक्षा अप्रैल 2015

39. बघेल डी० एस० किरण – नातेदारी विवाह और परिवार नवभारत मार्च 8 2001 सम्पादकीय

40. डॉ० रश्मि शर्मा –

महिला उत्पीडन एंव भारतीय समाज चुनौतियॉ एवं प्रयास एक नजर दिव्याशोध समीक्षा अप्रैल 2015

41. माथुर प्रियंका – महिला सशक्तिकरण ज्योति प्रकाशन, जयपुर

42. प्रतियोगिता दर्पण (2018) – महिला सशक्तिकरण पर लेख

43. डॉ विरेन्द्र सिंह यादव – 21वीं सदी का महिला सशक्तिकरण ओमेगा प्रकाशन

44. डॉ सुमन डॉ मंजू द (2004) – दलित महिलाएँ सम्यक प्रकाशन, नई दिल्ली

45. नरूला संजय (2007) – रिसर्च मैथडोलाजी स्वरूप एण्ड सन्स, नई दिल्ली

46. अंसारी एम० ए० (2003) – महिला एवं मानवधिकार, ज्योति प्रकाशन, जयपुर

47. अग्रवाल जे० सी० (1998) – भारत में नारी शिक्षा, विद्याविहार, नई दिल्ली

48. गुप्ता एच० पी० (2005) – साख्यिकीय विधि, शारदा प्रकाशन भवन, इलाहाबाद